सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) समाचार पत्र उद्योग निजी क्षेत्र में है और यह एक प्रतियोगी बाजार में काम करता है । उनकी कीमतें अलग-अलग प्रबन्धक वर्गों द्वारा निश्चित की जाती हैं ।

(ख) जी, नहीं । समाचारपत्रों को अखबारी कागज की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करना ही सरकारी नीति का लक्ष्य है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारत में समाचारपत्र अपनी स्वयं की प्रतियोगी कीमतें नियत करने के लिए स्वतंत्र हैं । विदेशी समाचार-पत्र अपने बाजारों में प्रचलित बाजार शर्तों के तहत अपनी कीमतें नियत करते हैं ।

(ङ) और (च) वर्तमान में स्वदेशी अखबारी कागज विदेशी अखबारी कागज की अपेक्षा सस्ता है । तथापि, मिलों द्वारा प्रयुक्त निवेश एवं प्रौद्योगिकी के कारण गुणवत्ता में अन्तर है ।

श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अपनाए गए नीतिगत दिशा-निर्देश

6992. श्री सतीश प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (डी०ए०वी०पी०) की विज्ञापन-नीति क्या है;

(ख) सभी समाचार पत्रों के प्रति सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक समान नीति न अपनाने के क्या कारण हैं;

(ग) श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रत्येक पंजीकृत समाचार पत्र को विज्ञापन प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकारी विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से यथासंभव अधिकतम कवरेज प्राप्त करना है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और निधियों की उपलब्धता के अधीन, इस नीति का उद्देश्य संतुलित एवं न्याय संगत विज्ञापन प्रदान करना है ।

(ख) विज्ञापन नीति सभी समाचरपत्रों पर समान रूप से लागू है ।

(ग) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में 38000 से अधिक समाचरपत्र पंजीकृत हैं जबकि वर्तमान में सरकारी विज्ञापन जारी करने हेतु विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में केवल 5322 समाचरपत्र/पत्रिकाएं हैं । विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में सभी समाचरपत्रों/पत्रिकाओं को प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन विज्ञापन अनिवार्य रूप से जारी किए जाते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत के समाचार पत्रों का रजिस्ट्रार

6993. श्री सतीश प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा समाचार पत्र के लिए नाम प्रदान करते समय समाचार पत्रों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखा जाता है;

(ख) यदि खुले बाजार की नीति के कारण कोई व्यक्ति भारत सरकार से अखबारी कागज नहीं खरीदता है तो